न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आरएएस)

प्रकरण संख्या – 2022 / 354 (अपील)
दायर दिनांक – 18 / 08 / 2022
निर्णय दिनांक – 03 / 04 / 2025

अनवान

1. ख्यालीलाल पिता भंवरलाल महाजन निवासी मौलेला तह. खमनोर जिला राजसमन्द

अपीलाण्ट

बनाम

1. नाथुलाल पिता खीमा गुरू गर्ग निवासी मौलेला तह. खमनोर जिला राजसमन्द
2. नानालाल पिता लालु गुरू गर्ग निवासी मौलेला तह. खमनोर जिला राजसमन्द
3. मदनलाल पिता खेमराज सालवी निवासी मौलेला तह. खमनोर जिला राजसमन्द
4. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत मौलेला पंचायत समिति खमनोर जिला राजसमन्द

रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित –
अपीलाण्ट की ओर से – श्री कमलेश अजमेरा, अधिवक्ता
रेस्पोडेण्टगण की ओर से – श्री सुरेश खटीक, अधिवक्ता

दिनांक – 03 / 04 / 2025

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 1504 दिनांक 14.12.2004, अधिनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत मौलेला के आदेश के विरूद्व

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 1504 दिनांक 14.12.2004, अधिनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत मौलेला, के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गयी कि खातेदार खीमा पिता कन्नीराम गुरू निवासी मौलेला की उपरोक्त कृषि एवं आवासीय भूमि राजस्व ग्राम मौलेला में स्थित है तथा उपरोक्त खातेदार द्वारा दिनांक 13.06.1993 को अपनी जायज आवश्यकता के लिये राजस्व ग्राम खमनोर में स्थित आराजी संख्य 2682 रकबा 00–01 बीघा किस्म आबादी एवं आराजी संख्या 2683 रकबा 00–01 बीघा किस्म आबादी में से अपीलार्थी के पिता भंवरलाल पिता जडावचन्द्र को 1600 वर्गफिट अर्थात् 80 गुणित 20 का भुखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर आधिपत्य सिपुर्द कर दिया तब से केतागण अर्थात् अपीलार्थीया के पूर्वाधिकारी एवं उनकी

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी ही उक्त भुखण्ड का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश उपरोक्त खातेदार की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त दोनो आराजी सम्पूर्ण मृतक खातेदार खेमा के विधिक वारिसान नाथुलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी तत्पश्चात् नाथुलाल द्वारा उपरोक्त दोनो आराजियात में से 00–01 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को विकय हस्तान्तरण कर दी तथा उक्त विकय पत्र में 00–01 बीघा ही विकय की गई थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उपरोक्त 00–02 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के नाम पर अंकित कर दी जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा 00–01 बीघा भूमि ही कय की गई थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी से राजस्व रेकर्ड में 00–02 बीघा भूमि अंकित कर दी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 को अपने नाम 00–02 बीघा भूमि में से 00–01 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 03 को विकय हस्तान्तरण कर दी तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मौलेला द्वारा बिना जांच पडताल किये ही पटवारी हल्का मौलेला प्रस्तुत नामान्तरकरण को ज्यों का त्यों स्वीकृत कर दिया जिससे नामान्तरकरण संख्या 1504 को पारित किया एवं तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 1748 को भी पारित किया जिससे अपीलार्थीया के हक अधिकार ही समाप्त हो गये तथा अपनी भूमि से वंचित कर दिया जिससे दुखी एवं पीडित होकर अपीलार्थी यह अपील प्रस्तुत कर रहे है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मौलेला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश न्याय एवं विधि के विरूद्व होकर तथ्यों से सर्वथा परे है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मौलेला ने कानुन के विपरीत जाकर ऐसा निर्णय पारित किया तथा ऐसा निर्णय पारित करके जिससे अपीलार्थी के हक एवं अधिकारों को ही समाप्त कर दिया तथा जो अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 1504 स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की वैधानिक प्रकिया नही अपनाई तथा पटवारी हल्का मौलेला द्वारा नामान्तरकरण भरकर पेश किया उस गौर न कर अपने मनमाफिक तरिके से नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया जबकि न्यायालय द्वारा कानुनन मृत खातेदार के विधिक वारिसा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज करने के पश्चात् अवशेष हिस्सा ही दर्ज करना था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण दोनो आराजियात दर्ज कर दी तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को उक्त आराजियात में से 00–01 बिश्वा भूमि विकय की गई थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1748 अपने मनमाफिक तरिके से भरकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मौलेला के समक्ष पेश किया जिसकी बिना जांच किये ही अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण 00–02 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के नाम पर दर्ज कर दी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने अपने नाम दर्ज हिस्से में से 00–01 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ड संख्या 03 को विकय की गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 1861 से रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के नाम दर्ज की गई तथा आराजियात का अवशेष हिस्सा आज भी रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के नाम पर दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा कय की गई भूमि को आगे विकय हस्तान्तरतरण कर दिया तथा उपरोक्त आवासीय भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के अब कोई हक एवं अधिकार नही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर नामान्तरकरण पारित कर दिया जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त योग्य है तथा नामान्तरकरण संख्या 1504 अपास्त होने के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 1748 एवं 1861 स्वतः ही प्रभावहीन होकर शुन्य है। अपीलार्थी मृतक भंवरलाल का जायन्दा पुत्र है तथा उपरोक्त कृषि भूमि मृतक खातेदार के पुर्वाधिकारी द्वारा कय की गई है इसलिये उपरोक्त आवासीय भुमि को रजिस्डर्ट विकय पत्र के आधार पर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है तथा मृत खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का अब उपरोक्त आराजियात में कोई हिस्सा शेष नही है तथा न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के हक अधिकार अवशेष है तथा उपरोक्त आराजियात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 03 रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपने राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। इस आधार पर मृत खातेदार की कृषि भूमियों में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने नाम पर दर्ज करा दी कानुनन शुन्य है। अधिनस्थ न्यायालय के इस प्रकार के विधि विरूद्व आदेश की अपील की यद्यपि कोई सीमा नही है क्योंकि इस प्रकार के निर्णय से अपीलार्थी के अपने हक अधिकारों को ही समाप्त कर दिया फिर भी अपीलार्थी की ओर से भारतीय अवधि अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रथम बार दिनांक 23.03.2022 को हुई जब रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने अपीलार्थी को धमकी दी कि उपरोक्त आवासीय भूमि मैनें गलत तरीके से सम्पूर्ण भूमि मेरे नाम दर्ज करा दी है तथा उपरोक्त भूमि को मै आगे विकय हस्तान्तरण कर दुंगा तत्पश्चात् अपीलार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से सम्पर्क किया अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानुनी राय प्राप्त की फिर भी अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। इस हेतु अपीलार्थी की ओर से भारतीय अवधि अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण है। अपीलार्थी, अपील के अन्य महत्वपूर्ण आधार वक्त बहस निवेदन करने की ईजाजत चाहते है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मौलेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/12/2004 नामान्तरकरण संख्या 1504 को निरस्त फरमाया जावें तथा उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के नाम रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

प्रकरण में धारा 05 भारतीय अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पूर्व में स्वीकार हो चुका है।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलण्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं अपीलार्थीया की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत भूमि अकृषि की हो अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि दिनांक 13.06.1993 को वादग्रस्त आराजी संख्य 2682 रकबा 00–01 बीघा किस्म आबादी एवं आराजी संख्या 2683 रकबा 00–01 बीघा किस्म आबादी में से अपीलार्थी के पिता भंवरलाल पिता जडावचन्द्र ने 1600 वर्गफिट अर्थात् 80 गुणित 20 का भुखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पोण्ट संख्या 01 के पूर्वाधिकारी द्वारा भूमि क्रय की गयी किन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरकरण दर्ज नही होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पूर्वाधिकारी खीमा की मृत्यु होने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण रकबा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम विरासत से नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजियात में से 01 बिश्वा भूमि जब अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में क्रय की जा चुकी थी जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का अवशेष रही 01 बिश्वा भूमि पर ही हक अधिकार द्वारा था इसके पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से अपने नाम दर्ज वादग्रस्त आराजियात में से 01 बिश्वा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को विक्रय की गई, जिसका भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के सम्पूर्ण रकबा 02 बिश्वा का त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया और इसके बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने अपने त्रुटिपूर्ण हिस्सा 02 बिश्वा में से 01 बिश्वा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 03 को विक्रय कर दी गई, जिसका नामान्तरकरण दर्ज किया गया और अवशेष 01 बिश्वा रकबा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के नाम दर्ज रह गया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने वादग्रस्त आराजियात में केवल मात्र 01 बिश्वा भूमि ही रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से क्रय की थी और 01 बिश्वा भूमि पूर्व मे अपीलार्थी द्वारा क्रय की गयी ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का अब कोई हक अधिकार शेष ही नही रहता है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि आबादी हो इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नही होने का प्रश्न है तो अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व जाकर किये गये त्रुटिपूर्ण निर्णय को सही कराये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है ना कि वादग्रस्त भूमियों मे घोषणा चाही गयी है, प्रकरण यदि आबादी भूमि में अपीलार्थी वादी के रूप में घोषणा लेकर आता है अवश्य ही इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नही होता और वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

आराजियात के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराये जाने का प्रकरण का प्रश्न है। सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई स्थगन जारी किया गया हो ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य इस प्रकरण में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील न्याय संगत होना प्रतीत होता है।

– : आदेश : –

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय किया जाना प्रतीत होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तरण संख्या 1504 दिनांक 14.12.2004 को खारिज किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार खमनोर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 के पक्ष में निष्पादित सभी विक्रय पत्रों की जांच की जाकर एवं विक्रय पत्रों के अनुसार न्यायिक प्रकिया द्वारा विधि अनुरूप नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। पालनार्थ तहसीलदार खमनोर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)